

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/5052

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 09.06.25

1 गणपतसिंह पुत्र
नींबसिंह जाति
राजपूत निवासी
आदर्श चूली, पटवार
हल्का चुली तहसील
व जिला बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

1 अनोप सिंह 2 हडुमान सिंह पिसरान इन्द्र
सिंह 3 देवेन्द्र सिंह पुत्र रावत सिंह 4 मनोहर
सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत 5 गेमरा पुत्र
उका जाति रावणा राजपूत निवासी आदर्श
चूली तहसील व जिला बाड़मेर 6 वीरसिंह 7
गोरधनसिंह पिसरान भमर सिंह 8 नवल सिंह
पुत्र उगम सिंह निवासी चूली तहसील व
जिला बाड़मेर। 9 तहसीलदार बाड़मेर जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 92/2025

दिनांक- 03/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श चूली पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 148/91 रकबा 12.1406 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व
पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके
पर अदा किया जावेगा।




उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/5053-56

दिनांक- 09.06.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चूली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गणपतसिंह पुत्र नींबसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श चूली, पटवार हल्का चुली
तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अनोप सिंह पुत्र इन्द्र सिंह निवासी आदर्श चूली तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर